फर्द अहकाम

राजेश कुमार वर्मा बनाम तहसीलदार सांगानेर व वर्मा

ना पत्र संख्या: 22/2024

या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.04.2024	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् नाम दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 243 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नंबर 244 क्षेत्रफल 0.6100 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 0.6200 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 55/8064 है। इसी प्रकार प्रार्थी के हिस्से की अन्य खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 234/1 क्षेत्रफल 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 क्षेत्रफल 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 क्षेत्रफल 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 क्षेत्रफल 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 क्षेत्रफल 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टेयर व खसरा नंबर 243/1 क्षेत्रफल 0.6700 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 5.1000 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/84 है। उपरोक्त मद संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थी का नाम अजयकुमार पुत्र प्रकाश अंकित है। प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया है। प्रार्थी को राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया के साथ–साथ अजयकुमार पुत्र प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, इस कारण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम अजयकुमार पुत्र प्रकाश अंकित है। प्रार्थी के अधिकार अभिलेखों में उक्त वर्णितानुसार शैक्षणिक दस्तावेजों के नाम से अलग नाम अंकित होने के कारण प्राथी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का उपयोग नही कर पा रहा है। प्रार्थी ने अब अपना एक ही नाम "राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया" रख लिया है। इस संबंध में प्रार्थी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान सरकार के राजस्थान राज–पत्र साधारण में नवम्बर 2023 [illegible] करवा दिया है। अब प्रार्थी अपने नाम की उक्त म[illegible] व 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम "अजयकुमार पुत्र प्रकाश" के स्थान पर "राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया" दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों (हाल जमाबन्दी) में प्रार्थी का नाम अजयकुमार पुत्र प्रकाश" के स्थान पर "राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया" दर्ज करने के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

आदेश प्रदान करने की कृपा करें व इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश अप्रार्थीगण को जारी करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थी सुनी गयी। बहस प्रार्थी व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 2076 जिसमें प्रार्थी का नाम अजय कुमार पुत्र प्रकाश दर्ज है पेश किया। जबकि प्रार्थी का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट वर्ष 2015 एवं आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम "राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया" एवं राजस्थान सरकार के राज–पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2023 में प्रार्थी ने अपने पुराने नाम अजय कुमार बनाम प्रकाश को "राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया" जाने एवं पहचाने जाने बाबत् पेश किया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 243 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नंबर 244 क्षेत्रफल 0.6100 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 0.6200 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 55/8064 है एवं प्रार्थी के हिस्से की अन्य खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खटवाड़ा, पटवार हल्का महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 234/1 क्षेत्रफल 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 236 क्षेत्रफल 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 237 क्षेत्रफल 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 क्षेत्रफल 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 क्षेत्रफल 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 क्षेत्रफल 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टेयर व खसरा नंबर 243/1 क्षेत्रफल 0.6700 हैक्टेयर, कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 5.1000 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/84 में प्रार्थी का नाम अजयकुमार पुत्र प्रकाश" के स्थान पर "राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामप्रकाश मुण्डोतिया" राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय [illegible]4 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
जयपुर द्वितीय ([illegible]गानेर)